रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 1987/पौष 26, 1908
No. 8] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 1987/PAUSA 26, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 147 आई टी सी (पी एन)/85-88

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1987

विषय:— अप्रैल 1985—मार्च 1988 के लिए आयात निर्यात नीति।

फा सं. आई पी सी/4/5 (371) 85-88.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1—आई टी सी (पी एन) /85—88, दिनांक 12

अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1985 मार्च 1988 के लिए यथा-संशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड-1) की पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	45	अध्याय-8 पैरा -144 उप-पैरा (4)	9वीं और 10वीं पंक्ति में "पिछले लाईसेंसिंग वर्षों के दौरान" शब्दों के स्थान पर "पर्यटन विभाग में परिचालित प्रोत्साहिक कोटा योजना के अनुसार" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. आयात-निर्यात नीति में उपयुक्त संशोधन लोकहित में किया गया है।

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 147—ITC (PN)/85-88

New Delhi, the 16th January, 1987

Subject : Import and Export Policy for April 1985—March 1988.

File No. IPC/4/5(371)/85-88.—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1985—March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/85-88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendment shall be made in the Policy at appropriate places indicated below:—

Sl. No.	Page no. of Import & Export Policy 1985-88 (Volume I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	45	Chapter VIII Paragraph 144 Sub-paragraph (4)	In the 9th and 10th lines. the words "during the preceding licensing year" shall be substituted by the words "in accordance with the Incentive Quota Scheme under operation in the Department of Tourism".

3. The above amendment in the Import & Export Policy has been made in the public interest.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987